"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2008—ज्येष्ठ 2, शक 1930

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2008

क्रमांक/404/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/08.—चूंकि श्री तरनीचरण तिवारी आ. श्री शंकर प्रसाद तिवारी, निवासी बैरनबाजार, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 1-6-08 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	"स्नेह चैरिटेबल ट्रस्ट" बैरनबाजार, रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिविल लाईन, रायपुर, खाता क्र.-30332893265, राशि-5100=00.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

टी. पी. सिन्हा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/2042.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1473/बिलासपुर, दिनांक 18-10-2006 के तहत दी गवर्मेंट इम्पलाईज थ्रिफ्ट सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 2132, दिनांक .... विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री एम. के. बंदे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24-10-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/2066.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1750/बिलासपुर, दिनांक 24-6-95 के तहत विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, मरवाही, पंजीयन क्रमांक 2024, दिनांक 17-1-66, विकासखण्ड मरवाही, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री आर. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मरवाही को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-10-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/2067.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1750/बिलासपुर, दिनांक 24-6-95 के तहत विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, परासी, पंजीयन क्रमांक 2090, दिनांक 31-1-67, विकासखण्ड मरवाही, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री आर. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मरवाही को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-10-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/2260.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2005/1280, दिनांक 17-10-05 के द्वारा बिलासा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, बिलासपुर, वार्ड क्रमांक 25, पं. क्र. 3408 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था अध्यक्ष एवं परिसमापक द्वारा संस्था के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर भण्डार कार्यशील है एवं 250 सदस्य बनाया जाकर नियमानुसार बैठक आयोजित किया है वर्ष 2006-07 तक का अंकेक्षण कराकर अंकेक्षण शुल्क पटा दिया है. संस्था वर्तमान में नियमत: कार्यशील है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, अध्यक्ष एवं परिसमापक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से पूर्णत: सहमत होते हुए बिलासा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, बिलासपुर, वार्ड क्रमांक 25, पं. क्र. 3408 का परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए पुनर्जीवित करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-11-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/139.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/754/बिलासपुर, दिनांक 13-6-2007 के तहत इंदिरा कामगार सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3951, दिनांक 1-5-2000, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री एम. के. बन्दे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-1-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/140.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/719/बिलासपुर, दिनांक 9-6-2006 के तहत सतनाम ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्यादित, सुकुलकारी, पंजीयन क्रमांक 3824, दिनांक 24-2-96, विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-1-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/141.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/751/बिलासपुर, दिनांक 13-6-2007 के तहत हरिजन बेरोजगार लेबर कांस्टेक्शन सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3718, दिनांक 20-3-96, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-1-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/142.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/596/बिलासपुर, दिनांक 17-5-2006 के तहत ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्यादित, मनवा, पंजीयन क्रमांक 3701, दिनांक 2-11-95, विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-1-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/143.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1761/बिलासपुर, दिनांक 24-8-2007 के तहत संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्यादित, भीमपुरी, पंजीयन क्रमांक 2913, दिनांक 23-2-70, विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री आर. डी. धृतलहरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-1-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/145.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/918/बिलासपुर, दिनांक 23-7-2007 के तहत भगत सिंह प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, भगत सिंह नगर, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3503, दिनांक 17-1-95, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्रीमति शोभा [illegible], सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-1-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/144.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/778/बिलासपुर, दिनांक 27-6-2006 के तहत ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्यादित, गोड़ाडीह, पंजीयन क्रमांक 3703, दिनांक 6-11-95, विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 10-1-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2006/372.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/381/बिलासपुर, दिनांक 15-3-2007 के तहत उषा उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, तात्याटोपे नगर, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3651, दिनांक 29-3-95, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 07-02-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/परिसमापन/2007/413.—पंजीयन क्रमांक 45 दिनांक 18-2-83 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 2301 दिनांक 10-12-2007 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छ. ग. गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. एम. खैरवार वरिष्ठ सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/परिसमापन/2007/422.—पंजीयन क्रमांक 3842 दिनांक 01-03-97 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 2305 दिनांक 10-12-2007 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, दुग्ध सहकारी समिति मर्या., तेली खाम्ही को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एन. के. कश्यप, सहकारिता वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/परिसमापन/2007/423.—पंजीयन क्रमांक 3161 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 2306 दिनांक 10-12-2007 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, मछुआ सहकारी समिति मर्या., मोहतरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री कोमल सिंह हुपेण्डी, सह. वि. अधि., कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/परिसमापन/2007/424.—पंजीयन क्रमांक 3679 दिनांक 28-8-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 276 दिनांक 25-1-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, सामान्य मछुआ सहकारी समिति मर्या., करगीखुर्द को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री कोमल सिंह हुपेण्डी, सह. विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 21 फरवरी 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/440.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1750/बिलासपुर, दिनांक 26-6-95 के तहत त्रिविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, मेढुका, पंजीयन क्रमांक 2809, दिनांक 23-2-65, विकासखण्ड मरवाही, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री आर. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मरवाही को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गयां था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 21-2-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 18 मार्च 2008

क्रमांक/परिसमापन/2007/634.—पंजीयन क्रमांक 3561 दिनांक 22-12-94 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 178 दिनांक 16-1-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, गंगा सागर मछुवा सह. समि., लखराम को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री के. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधि., बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 18 मार्च 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2006/635.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1217/बिलासपुर, दिनांक 30-9-95 के तहत आदर्श मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, धोबहर पंजीयन क्रमांक 3387, दिनांक 2-5-91 विकासखण्ड मरवाही, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री आर. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मरवाही को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-3-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 18 मार्च 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2006/636.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/919/बिलासपुर, दिनांक 23-7-2007 के तहत मोहल्ला विकास उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित, तालापारा, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3609 दिनांक 3-7-2006, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्रीमति शोभा बंदे, स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-3-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2006/742.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/917/बिलासपुर, दिनांक 23-7-2007 के तहत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, राजेन्द्र नगर, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3593, दिनांक 10-2-95, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7 1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 02-04-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2006/743.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/915/बिलासपुर, दिनांक 23-7-2007 के तहत जय भोले नाथ प्राथमिक उप. सहकारी समिति मर्यादित, तोरवा, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3571, दिनांक 5-1-95, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 02-04-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2008

क्रमांक/परिसमापन/2008/747.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1292, दिनांक 11-09-2006 के द्वारा मध्य नगरी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्यादित, लाला लाजपतराय नगर, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3393, दिनांक 27-06-1991 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था तत्कालीन अध्यक्ष एवं परिसमापक द्वारा संस्था के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर भण्डार कार्यशील है, एवं 250 सदस्य बनाया जाकर नियमानुसार बैठक आयोजित किया है वर्ष 2006-2007 तक का अंकेक्षण कराकर अंकेक्षण शुल्क पटा दिया है. संस्था वर्तमान में नियमत: कार्यशील है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर अध्यक्ष एवं परिसमापक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से पूर्णत: सहमत होते हुए मध्य नगरी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्यादित, लाला लाजपतराय नगर, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3393, दिनांक 27-6-91 का परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए पुनर्जीवित करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/781.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1053/बिलासपुर, दिनांक 9-8-2007 के तहत मठ बाबा खनिज सहकारी समिति मर्यादित, देवरगांव, पंजीयन क्रमांक 3784, दिनांक 18-9-96, विकासखण्ड पेन्ड्रारोड (गौरेला), जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. डी. जयसिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पेन्ड्रारोड (गौरेला) को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05-04-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/782.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/652/बिलासपुर, दिनांक 29-5-2006 के तहत जय दुर्गे फल फूल साग सब्जी उ. सहकारी समिति मर्यादित, हर्री (लालपुर), पंजीयन क्रमांक 113, दिनांक 7-8-2001, विकासखण्ड पेन्ड्रा (गौरेला), जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. डी. जयसिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पेन्ड्रारोड (गौरेला) को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05-04-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/783.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/404/बिलासपुर, दिनांक 20-3-2007 के तहत अंजनी पुत्र खनिज सहकारी समिति मर्यादित, नेवसा, पंजीयन क्रमांक 3837, दिनांक 28-2-97, विकासखण्ड पेन्ड्रारोड (गौरेला), जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. डी. जयसिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पेन्ड्रारोड (गौरेला) को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05-04-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/784.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1929/बिलासपुर, दिनांक 1-10-2007 के तहत विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, सकोला, पंजीयन क्रमांक 705, दिनांक 1-11-64, विकासखण्ड पेन्ड्रारोड (गौरेला), जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. डी. जयसिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पेन्ड्रारोड (गौरेला) को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05-04-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/785.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/379/बिलासपुर, दिनांक 15-3-2007 के तहत गर्णन दहाड़ खनिज सहकारी समिति मर्यादित, पतर कोनी, पंजीयन क्रमांक 3765, दिनांक 18-9-96, विकासखण्ड पेन्ड्रारोड (गौरेला), जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. डी. जयसिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पेन्ड्रारोड (गौरेला) को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05-04-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/786.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/341/बिलासपुर, दिनांक 7-3-2007 के तहत आदिम जाति मानस कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, गिरारी, पंजीयन क्रमांक 2120, दिनांक 29-10-84, विकासखण्ड पेन्ड्रा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. डी. जयसिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पेन्ड्रारोड को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05-04-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/812.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1054/बिलासपुर, दिनांक 9-8-2007 के तहत आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, झगराखाड़, पंजीयन क्रमांक 3136, दिनांक 29-03-05, विकासखण्ड पेन्ड्रारोड (गौरेला), जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. डी. जयसिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पेन्ड्रारोड (गौरेला) को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-04-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/813.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/916/बिलासपुर, दिनांक 23-7-2007 के तहत शिवम् प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित, कस्तुरबा नगर, वार्ड क्र. 4, पंजीयन क्रमांक 3579, दिनांक 12-1-95, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-04-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/251/उपंरा/परि./2008.—वस्तुत: भारतीय कृषक बीज उत्पा. एवं विप. सह. स. मर्या. तुमड़ीबोड़, पं. क्र. 364 दिनांक 25-07-97 जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1042/उपंरा/परि./2008, दिनांक 29-12-2007 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय कृषक बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. तुमड़ीबोड़ , पंजीयन क्रमांक 364, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19-02-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/252/उपंरा/परि./2008.—वस्तुत: श्री बर्फानी फल-फूल सब्जी उत्पा. एवं विप. सह. मर्या. डोंगरगांव, पं. क्र. 348 दिनांक .... जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1043/उपंरा/परि./2008, दिनांक 29-12-2007 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री बर्फानी फल-फूल सब्जी उत्पादक एवं विप. सह. समिति मर्या. डोंगरगांव, पंजीयन क्रमांक 348, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड .... को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19-02-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/253/उपंरा/परि./2008.—वस्तुत: प्राथमिक लक्ष्मी फल-फूल उत्पा. एवं विप. सह. स. राजनांदगांव, पं. क्र. 345 दिनांक .... जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1044/उपंरा/परि./2008, दिनांक 29-12-2007 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राथमिक लक्ष्मी फल-फूल उत्पाद एवं विप. सह. समिति मर्या. राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 345, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज़ अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19-02-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/254/उपंरा/परि./2008.—वस्तुत: मां बम्लेश्वरी सब्जी फल-फूल उत्पा. एवं विप. सह. स. डोंगरगढ़, पं. क्र. 346 दिनांक 17-10-96 जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1045/उपंरा/परि./2008, दिनांक 29-12-2007 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए मां बम्लेश्वरी सब्जी फल-फूल उत्पा. एवं विप. सह. समिति मर्या. डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 346, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19-02-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/255/उपंरा/परि./2008.—वस्तुत: मां दन्तेश्वरी सब्जी फल-फूल सब्जी उत्पाद एवं विप. सह. स. खैरागढ़, पं. क्र. 347 दिनांक 17-10-96 जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1046/उपंरा/परि./2008, दिनांक 29-12-2007 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए मां दन्तेश्वरी सब्जी फल-फूल उत्पा. एवं विप. सह. समिति मर्या. खैरागढ़, पंजीयन क्रमांक 347, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खैरागढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19-02-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/256/उपंरा/परि./2008.—वस्तुत: शीतल सहकारी विपणन समिति मर्या. छुरिया, पं. क्र. 342 दिनांक .... जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1047/उपंरा/परि./2008, दिनांक 29-12-2007 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए शीतल सहकारी विपणन समिति मर्या. छुरिया, पंजीयन क्रमांक 342, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड छुरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19-02-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/257/उपंरा/परि./2008.—वस्तुत: गंगोत्री मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या. बाकलसर्रा, पं. क्र. .... दिनांक .... जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1050/उपंरा/परि./2008, दिनांक 29-12-2007 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए गंगोत्री मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या. बाकलसर्रा, पंजीयन क्रमांक .... जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खैरागढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19-02-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/258/उपंरा/परि./2008.—वस्तुत: आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. गढ़डोमी, पं. क्र. .... दिनांक .... जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1048/उपंरा/परि./2008, दिनांक 29-12-2007 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. गड्डोमी, पंजीयन क्रमांक .... जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मानपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19-02-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/259/उपंरा/परि./2008.—वस्तुत: ग्राम विकास खनिज सहकारी समिति मर्या. किरगी, पं. क्र. 380 दिनांक .... जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1051/उपंरा/परि./2008, दिनांक 29-12-2007 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्राम विकास खनिज सहकारी समिति मर्या. किरगी, पंजीयन क्रमांक 380, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19-02-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/260/उपंरा/परि./2008.—वस्तुत: गुरुघासीदास बुनकर सहकारी समिति मर्या., पचपेड़ी, पं. क्र. .... दिनांक .... जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1052/उपंरा/परि./2008, दिनांक 29-12-2007 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए गुरुघासीदास बुनकर सहकारी समिति मर्या., पचपेड़ी, पंजीयन क्रमांक .... जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खैरागढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19-02-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/261/उपंरा/परि./2008.—वस्तुत: मीरा परिवहन सहकारी समिति मर्या., खैरागढ़, पं. क्र. .... दिनांक .... जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1049/उपंरा/परि./2008, दिनांक 29-12-2007 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए मीरा परिवहन सहकारी समिति मर्या., खैरागढ़, पंजीयन क्रमांक .... जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खैरागढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19-02-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 1 मई 2008

क्रमांक/505/उपंरा/परि./2008.—वस्तुत: प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक ए. आर./आर. जे. एन./12, जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/439/उपंरा/परि./2008, दिनांक 26-03-2008 के द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा 2 (ए/क) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 12, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाए जाने का आदेश देता हूं तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के प्रावधानों के अधीन सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को उक्त सोसायटी का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत अन्तिम प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 01-05-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.